राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(12)एम.ई / ग्रुप–1 / 1996 जयपुर, दिनांक - 7 FEB 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा निम्न अभ्यर्थी का वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर चयन कर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया था :–

क्र.सं.	नाम	रोल नं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग
1.	डॉ0 मातादीन मीणा	202752	M-79	अजजा.

नियुक्ति की प्रक्रिया के क्रम में डॉ0 मातादीन मीणा के सम्बन्ध में चरित्र सत्यापन बाबत पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर (राज.) को लिखा गया था। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) जयपुर द्वारा डॉ0 मीणा के सम्बन्ध में चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। प्राप्त रिपोर्ट में डॉ0 मीणा के विरूद्ध महिला थाना पूर्व जयपुर शहर में मु.न. 144 / 14 धारा 498ए, 406, 323, 341, 354, 509, 120बी, भा.द.स. में दर्ज होना अंकित बताया गया है। जिसमें अनुसंधान बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन चल रहा है। जिसके फलस्वरूप डॉ0 मातादीन मीणा को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति दिया जाना सम्भव नही है। अतः डॉ0 मातादीन मीणा का वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर किया गया चयन एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेश से,

(गोपाल सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(33)भर्ती / गोपनीय / 2013–14 / 210 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ।
3. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. डा0 मातादीन मीणा पुत्र श्री भरताराम मीणा, सीरों का बास, मेदराजसिंहपुरा, ग्राम पोस्ट तहसील जमवारामगढ़, जिला–जयपुर(राज.)– 303109 (**रजिस्टर्ड डाक से**)
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(सुरेन्द्र सिंह)
अनुभागाधिकारी